

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

का0आ0सं0-07/स्था0-09-16/2025, परि0

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक-14.12.2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर विभागीय पत्रांक-9826, दिनांक-15.12.2025 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-276, दिनांक-15.12.2025 द्वारा सूचित किया गया कि श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी सं0-425/25 दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन के आधार पर श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2) के तहत गिरफ्तार किये जाने की तिथि 14.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से देय होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/थानाध्यक्ष, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

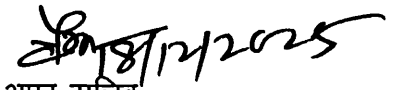
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 9930

पटना, दिनांक- 18/12/2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

का0आ0सं0-07/स्था0-09-16/2025, परि0

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक-14.12.2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर विभागीय पत्रांक-9826, दिनांक-15.12.2025 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-276, दिनांक-15.12.2025 द्वारा सूचित किया गया कि श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी सं0-425/25 दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन के आधार पर श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2) के तहत गिरफ्तार किये जाने की तिथि 14.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से देय होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

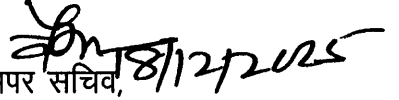
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 9930

पटना, दिनांक- 18/12/2025

प्रतिलिपि- प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/थानाध्यक्ष, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/श्री हरिशंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव, 18/12/2025

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।